

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 7/वि०शा०/मु० राँची-05-20/2019-30/19-20/राँची, दिनांक 26.08.19

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, पो०-हिनू, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- जल संसाधन विभाग, जल भवन डोरण्डा, राँची के Fifth and Sixth floor के निर्माण कार्य हेतु ₹ 519.24 (पाँच करोड़ उन्नीस लाख चौबीस हजार) मात्र के प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

- जल संसाधन विभाग, जल भवन डोरण्डा, राँची के Fifth and Sixth floor के निर्माण कार्य हेतु ₹ 519.24 (पाँच करोड़ उन्नीस लाख चौबीस हजार) मात्र के प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।
- जल संसाधन विभाग द्वारा जल भवन डोरण्डा का निर्माण 2015 में कराया गया था। वर्तमान में जल भवन में B+G+4th Floor निर्मित है।
- जल संसाधन सचिवालय में स्थान की कमी के कारण अपर मुख्य सचिव एवं संलग्न कार्यों के लिए जल भवन में अतिरिक्त पाचवाँ एवं छठा तल्ला का निर्माण किया जाना है।
- कराये जानेवाले कार्यों का अवयववार लागत की विवरणी निम्नवत है -

SL.NO	PARTICULARS			AMOUNT
i	Civil Work			28556922.11
ii	Plumbing Sanitary & Water Supply			437301.06
iii	Internal Electrical Work (including intercom, networking, CCTV etc.)			6573781.00
iv	Fire fighting Work			406834.00
v	Furniture			8562100.00
vi	Rain Water Harvesting (1 no)			180656.04
vii	Borewell (1 no)			247472.31
Sub Total			A	44965066.51
vi	Add G.S.T@ 12% on 'A'		B	5395807.98
Total-X			(A+B)	50360874.49
vii	Contingency @ 0.5% of 'X'			251804.37
viii	Labour Cess @ 1% of 'X'			503608.74

ix	Add Consultancy Fee on 'A'			
	up to 1.00 Crore @ Rs. 1.35%	135000.00		
	1.00 Crore to 5.00 Crore @ Rs. 1.25%	549563.33		
	'C' - Sub Total	684563.33		
	Add G.S.T @ 18% on 'C'		.	807784.73
	Consultancy Fee	807784.73		
			Total	51924072.33
			Say	51924000.00
Five Crore Nineteen Lakh twenty four Thousand Only				

6. यह कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्ण कराया जाएगा।

7. इस कार्य पर होनेवाला व्यय:-

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची के अन्तर्गत प्रस्तावित ₹ 519.24 लाख मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-68-भवनों का संधारण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

8. उपरोक्त कार्य का क्रियान्वयन गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची द्वारा कराया जायेगा। उक्त प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

9. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

10. इस कार्य के लिए वर्ष 2019-20 के बजट में ₹ 1500.00 लाख राशि का उपबंध है।

11. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

13. राशि की निकासी वित्त विभाग का परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

14. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

15. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

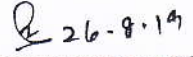
16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के माध्यम से महालेखाकार झारखंड, पो०-हिनू राँची को संसूचित किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

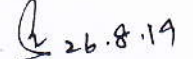
पत्रांक :- 7/वि०शा०/मु० राँची-05-20/2019-30/19-20/राँची, दिनांक 26.08.19

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 7/वि०शा०/मु० राँची-05-20/2019-30/19-20/राँची, दिनांक 26.08.19

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, राँची झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 7/वि०शा०/मु० राँची-05-20/2019-30/19-20/राँची, दिनांक 26.08.19

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशासक पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 7/वि०शा०/मु० राँची-05-20/2019-30/19-20/राँची, दिनांक 26.08.19

प्रतिलिपि :- संबंधित उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिला अंतर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 7/वि०शा०/मु० राँची-05-20/2019-30/19-20/राँची, दिनांक 26.08.19

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्य मंत्री के अपर मुख्य सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव



